मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 14, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,9,10,12,14,15,16,17) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन.

श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 10, (क्र.1388) "जल जीवन मिशन" पर चर्चा के दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यगण द्वारा जाँच न कराए जाने एवं शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. अध्यक्षीय घोषणा.

जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा और क्रियान्वयन किया जाना

प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात् श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन की यह निर्देश दिए गए कि –"प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाद अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ हुई है. यह आज की बड़ी आवश्यकता भी है क्योंकि जिस प्रकार से जल की स्थिति है, स्वच्छ जल हर आदमी को मिले यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी भी है. चूंकि केन्द्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है और राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन कर रही है. सभी सदस्यों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं-न-कहीं हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है. मेरा शासन से यह अनुरोध है कि कलेक्टर के स्तर पर नियमित समीक्षा और क्रियान्वित करने की बैठकें होना ही चाहिए, लेकिन राज्य स्तर पर भी इसकी समीक्षा कड़ाई से करनी चाहिए, जिसका फायदा आम जनमानस को भी होगा और राज्य शासन की छबि भी निखरेगी."

4. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 25 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में फर्जी बिल व्हाऊचर लगाकर राशि का दुरूपयोग किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम् जिले में गृह विभाग की भूमि इंडियन कॉफी हाऊस को आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में शासकीय कार्य समय-सीमा में न किये जाने,

(4) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर नगर पालिका में लीज वाली वेशकीमती भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराये जाने,

(5) श्री विपिन जैन, सदस्य की मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ की नगरी को ऐतिहासिक पुरातत्व,पर्यटन व धार्मिक नगर के रूप में विकसित किये जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनिया हाट बाजार में हाईमास्क लेम्प लगाये जाने,

(7) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के हाईस्कूल मेढ़ा को उन्नयन न किये जाने,

(8) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम आदमपुर में पावर स्टेशन का कार्य पूर्ण न होने,

(9) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की जिला दतिया स्थित सिंध नदी में भारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त मंदिर एवं गौशाला का जीर्णोद्धार नहीं हो पाने,

(10) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले की ग्राम पंचायत अमझेरा में पंचायत अनुमति उपरांत भी अवैध अतिक्रमण बताकर मकान तोड़ा जाने,

(11) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा में नहर का निर्माण कराये जाने,

(12) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की प्रदेश में संचालित रोजगार कार्यालयों को सर्वसुविधा युक्त एवं विभिन्न तकनीकी से जोड़े जाने,

(13) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की प्रदेश में आदिवासी मंत्रणा परिषद् की अनुशंसा एवं निर्णयों का पालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति,

(14) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य की शिवपुरी जिले में उद्योगों की कमी से उत्पन्न स्थिति,

(15) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की प्रदेश में पटवारी भर्ती में हुई अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के संबंध में,

(16) श्री फूल सिंह बरैया, सदस्य की मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उन्नाव में विकास कार्य न होने,

(17) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य की छतरपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौवंश आने के कारण सैकड़ों वाहन दुघर्टनाग्रस्त होने,

(18) श्रीयुत श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य की मैहर से बरही सड़क मार्ग स्थित कुटेश्वर घाट पर पुल का निर्माण किये जाने,

(19) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र के पुल पर निर्माण किये जाने,

(20) डॉ. राजेन्द्र पांडेय, सदस्य की नगर पालिका जावरा में पीलिया खाल प्रदूषण मुक्त कार्य योजना अतंर्गत विभिन्न नालों का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने,

(21) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवढ़ा नगर के नगर इंदरगढ़ में यात्री बसों के कारण बाजार में जाम की स्थिति निर्मित होने,

(22) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य की शहडोल जिले में शासन द्वारा गरीब लोगों को दिये जाने वाले पट्टों का पात्र हितग्राहियों को लाभ न मिलना,

(23) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की प्रदेश में जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित न किये जाने,

(24) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य की बामौर स्थित अम्बा शक्ति एवं टायर फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषित पानी से किसानों की फसलों को नुकसान होने तथा

(25) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में परिवार नियोजन अभियान के शिविरों में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था.

विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि- ‘‘कल हमें सदन में यह बताया गया था कि मंगलवार को नर्सिंग घोटाले के संबंध में ध्यान आकर्षण पर जो चर्चा हुई थी उसमें माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग के वक्तव्य के संबंध में माननीय सदस्य श्री सचिन यादव और मैंने आपको पत्र लिखा था कि उनके भाषण में भ्रमित जानकारी दी गई थी उसके संबंध में आपने हमें कल आश्वासन दिया था कि आप उसकी व्यवस्था देंगे.’’

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि -‘‘कल व्यवस्था मैंने दे दी थी. मुझे सूचना प्राप्त हो गई है. मैं परीक्षण कर आगे की कार्यवाही करूंगा. मैं समझता हूँ कि अब दोबारा इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है.’’

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने -

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

(ख) (i) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं (ii) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 68 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ-7-0003-2024-सात-शा.7, भोपाल, दिनांक 14 मई, 2024 पटल पर रखा.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(7) (*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*) श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने

(क) द मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, तथा

(ख) डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

7. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री रामेश्वर शर्मा एवं राजन मण्डलोई सदस्यों के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

8. ध्यानाकर्षण.

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने बुरहानपुर नगर की जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण न होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, श्रीमती प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में रपटा एवं सड़क मार्गों का निर्माण न होने से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की ओर ध्यान आकर्षित किया, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 4 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(2) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(3) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(4) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(6) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला- दमोह)
(7) श्री राजेन्द्र भारती (जिला- दतिया)
(8) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(9) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(10) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे (जिला- कटनी)
(11) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला- अलीराजपुर)
(12) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(13) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(14) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(15) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)

(16) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(17) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(18) श्री अरुण भीमावद (जिला- शाजापुर)
(19) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(20) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(21) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला- टीकमगढ़)
(22) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला- निवाड़ी)
(23) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला- दतिया)
(24) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला- शिवपुरी)
(25) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(26) श्री देवेन्द्र नारायण सखवार (जिला-मुरैना)
(27) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला- सिवनी)
(28) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला- पन्ना)
(29) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(30) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला- रतलाम)
(31) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला- गुना)
(32) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला- खरगोन)
(33) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला- नीमच)
(34) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला- शिवपुरी)
(35) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल)
(36) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(37) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(38) श्रीयुत श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(39) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(40) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(41) श्री महेन्द्र नागेश (जिला-नरसिंहपुर)
(42) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(43) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(44) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(45) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(46) डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-रतलाम)
(47) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(48) श्रीमती रीती पाठक (जिला-सीधी)
(49) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(50) श्री अभय कुमार मिश्रा (जिला-रीवा)
(51) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(52) श्री गोपाल सिंह (जिला-सीहोर)
(53) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(54) श्री नारायण सिंह (जिला- मण्डला)

10. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में ग्वालियर के सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह का सदन में स्वागत उल्लेख किया गया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य को उक्त विधेयक पर विचार व्यक्त करने हेतु पुकारे जाने पर तत्समय उनकी अनुपस्थितिवश सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.29 बजे से 10 मिनिट के लिए स्थगित की जाकर 12.40 बजे पुनः समवेत की गई)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य द्वारा चर्चा में भाग लिया गया श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

12. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना, सहभोज और भुट्टा पार्टी का आयोजन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि-

(1) आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. अपनी सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(2) आज दिनांक 5 जुलाई 2024 अपराह्न 7 बजे श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री के आवास क्रमांक- सी-21 शिवाजी नगर, भोपाल में सहभोज और भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यगण आमंत्रित हैं.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(विचार के प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया)

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ
खण्ड **2 से 68** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

मंत्री महोदया द्वारा इस संशोधन विधेयक के प्रावधानों की जानकारी देते हुए प्रारंभिक भाषण दिया गया.

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्रीमती कृष्णा गौर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

श्री भंवर सिंह शेखावत एवं डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

{ सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.}

श्री इन्दर सिंह परमार ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(4) श्री लखन पटेल, राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाए

श्री जयवर्द्धन सिंह, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

श्री लखन पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री लखन पटेल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

श्री अभय कुमार मिश्रा सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** से **4** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** से **13** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

14. आय-व्ययक वर्ष 2024-25 में उल्लेखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ अन्य आवश्यक शासकीय कार्य आज ही पूर्ण किया जाना संबंधी प्रस्ताव.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

"आय-व्ययक वर्ष 2024-25 के बजट पर कल सामान्य चर्चा में आसंदी की सहृदयता के फलस्वरूप

विस्तृत चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने लगभग रात्रि 10 बजे तक, नौ घंटे से अधिक चर्चा में भाग लिया. मेरा यह सुझाव है कि यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी सहमति दें तो सभी माननीय सदस्यों ने सभी विषयों पर चर्चा की ही है, इसलिए प्रस्ताव करता हूं कि अब बजट में शामिल शेष विभागीय मांगों पर मतदान तत्परता से पूर्ण कर तत्संबंधी विनियोग का पारण किया जाना या वित्तीय कार्य नियत समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध (गिलोटिन) : प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – ''वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्षय व वर्णित स्थिति में वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा. इस संबंध में मतदान हेतु सभी विभागों की अनुदान मांगें उप मुख्यमंत्री, वित्त एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.''

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि- ''31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या	-	001	सामान्य प्रशासन के लिए एक हजार, इक्तीस करोड़, दो लाख, छियासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	002	विमानन के लिए दो सौ तिरासी करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	003	गृह के लिए ग्यारह हजार दो सौ अठासी करोड़, छियालीस लाख, अस्सी हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	005	जेल के लिए सात सौ छब्बीस करोड़, चौरानवे लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	011	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए दो हजार आठ सौ बीस करोड़, सोलह लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	021	लोक सेवा प्रबंधन एक सौ इक्कीस करोड़, सड़सठ लाख रुपये,
अनुदान संख्या	-	025	खनिज साधन के लिए एक हजार चार सौ सोलह करोड़, उनसठ लाख, तिरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	029	विधि और विधायी कार्य के लिए तीन हजार नौ सौ बीस करोड़, पचास लाख, पचहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	032	जनसंपर्क के लिए सात सौ छत्तीस करोड़, छह लाख सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	041	प्रवासी भारतीय के लिए उन्नीस करोड़, पचास लाख, चौतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	046	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए चार सौ बहत्तर करोड़, अठाइस लाख, चौसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	048	नर्मदा घाटी विकास के लिए छह हजार तीन सौ छियालीस करोड़, तिहत्तर लाख, छब्बीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या	-	057	आनंद के लिए पंद्रह करोड़, दो हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	006	वित्त के लिए छब्बीस हजार सात सो उनतीस करोड़, तीस लाख, उन्नचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	007	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार छह सौ बीस करोड़, अठासी लाख, तिहत्तर हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या	-	031	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए नौ सौ अस्सी करोड़, नवासी लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	019	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए पंद्रह हजार पांच सौ आठ करोड़, इक्यावन लाख, बावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	052	चिकित्सा शिक्षा के लिए चार हजार नौ सौ तीस करोड़, बहत्तर लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	033	जनजातीय कार्य के लिए बारह हजार छह सौ तिरपन करोड़, सत्ताइस लाख, तेईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	042	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ अट्ठावन करोड़, सत्तर लाख, चौबीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	045	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए इक्तीस करोड़, साठ लाख, चार हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	022	नगरीय विकास एवं आवास के लिए पंद्रह हजार दो सौ उनसठ करोड़, नब्बे लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	028	श्रम के लिए एक हजार एक करोड़, उन्यासी लाख, बानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	018	ग्रामीण विकास के लिए अठारह हजार सात सौ छियालीस करोड़, पांच लाख, पैंसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	030	पंचायत के लिए नौ हजार एक सौ तेईस करोड़, चौदह लाख, निन्यानवे हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	040	पंचायत के लिए नौ हजार एक सौ तेईस करोड़, चौदह लाख, निन्यानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	024	लोक निर्माण कार्य के लिए दस हजार एक सौ उन्नीस करोड़, बयासी लाख, उनसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	008	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिए दस हजार दो सौ इक्कीस करोड़, इक्यावन लाख, चालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	027	स्कूल शिक्षा के लिए तैंतीस हजार पांच सौ बत्तीस करोड़, सत्ताईस लाख, बहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	036	परिवहन के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़, चौतीस लाख, बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	020	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए दस हजार दो सौ छिहत्तर करोड़, तिरानवे लाख, तैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	023	जल संसाधन के लिए सात हजार दो सौ अड़तीस करोड़, सात लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	013	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए उन्नीस हजार सात सौ सत्रह करोड़, बत्तीस लाख, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	055	महिला एवं बाल विकास के लिए छब्बीस हजार पांच सौ उनसठ करोड़, अठानवे लाख, पचास हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	039	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार पांच सौ पंद्रह करोड़, छियासठ लाख, पांच

हजार रुपये

अनुदान संख्या - 043 खेल और युवा कल्याण के लिए पांच सौ छियासी करोड़, इकतालीस लाख, छह हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 017 सहकारिता के लिए एक हजार नौ सौ उनहत्तर करोड़, तेरह लाख, अट्ठाइस हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 034 सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए चार हजार छह सौ तीन करोड़, सतासी लाख, दो हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 050 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए पांच सौ अठारह करोड़, सतानवे लाख, अड़तालीस हजार रुपये

अनुदान संख्या - 004 पर्यावरण के लिए अड़तीस करोड़, इकहत्तर लाख, बीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 010 वन के लिए चार हजार छह सौ पचासी करोड़, दो लाख, दो हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 049 अनुसूचति जाति कल्याण के लिए दो हजार तीन सौ छब्बीस करोड़, पचहत्तर लाख, नब्बे हजार रुपये

अनुदान संख्या - 012 ऊर्जा के लिए उन्नीस हजार दो सौ सड़सठ करोड़, तीन लाख, चवालीस हजार रुपये

अनुदान संख्या - 009 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए तिरसठ करोड़, पचासी लाख, अट्ठावन हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 035 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक हजार एक सौ अट्ठानवे करोड़, तेईस लाख, नवासी हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 044 उच्च शिक्षा के लिए तीन हजार आठ सौ छियासठ करोड़, बारह लाख, तिहत्तर हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 038 आयुष के लिए आठ सौ पैंतालीस करोड़, अड़तीस लाख, आठ हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 047 तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) के लिए दो हजार छह सौ छियासठ करोड़, ग्यारह लाख, पैंतालीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 015 घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति के लिए अड़तालीस करोड़, नौ लाख, बासठ हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 053 अल्प संख्यक कल्याण के लिए एक सौ छप्पन करोड़, इक्यावन लाख, उनतीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 054 पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक हजार चार सौ निन्यानवे करोड़, चौवन लाख तिरासी हजार

अनुदान संख्या - 026 संस्कृति के लिए एक हजार अस्सी करोड़, बहत्तर लाख, अट्ठानवे हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 037 पर्यटन के लिए दो सौ बयासी करोड़, तैंतीस लाख, उन्नीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 051 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए एक सौ पंद्रह करोड़, इकतालीस लाख, बासठ हजार रुपये

अनुदान संख्या - 056 कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ बावन करोड़, अट्ठावन लाख, इक्यासी हजार रुपये

अनुदान संख्या - 014 पशुपालन एवं डेयरी के लिए दो हजार एक सौ उनचास करोड़, अठहत्तर लाख, इकतीस हजार रुपये

अनुदान संख्या - 016 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए दो सौ उनतीस करोड़, अट्ठासी लाख, छियासी हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव (ध्वनिमत से) स्वीकृत हुआ.

16. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण विभागवार मांगों पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे बाजी की गई.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) पुर:स्थापित किया.इस पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1. श्री भंवरसिंह शेखावत
2. श्री फूलसिंह बरैया
3. श्री रजनीश हरवंश सिंह
4. श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

5. श्री शैलेन्द्र जैन
6. श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
7. श्री ओमप्रकाश सखलेचा
8. डॉ. रामकिशोर दोगने
9. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
10. डॉ हिरालाल अलावा
11. श्री रमेश खटीक
12. श्रीमती सेना महेश पटेल
13. श्री साहब सिंह गुर्जर
14. श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर
15. श्री प्रताप ग्रेवाल
16. डॉ. अभिलाष पाण्डेय
17. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
18. श्री सुरेश राजे
19. श्री राजेश कुमार वर्मा
20. श्री महेश परमार
21. श्री गौरव सिंह पारधी
22. श्री कैलाश कुशवाहा
23. डॉ. प्रभुराम चौधरी
24. श्री उमाकांत शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

25. श्री भैरोसिंह बापू
26. श्री कमलेश्वर डोडियार
27. श्री घनश्याम चंद्रवंशी
28. श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार

18. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि की जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची के बिन्दु क्रमांक 10 तक कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि गई.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

29. श्री यादवेन्द्र सिंह
30. श्री दिनेश जैन बोस
31. श्री चैन सिंह वरकड़े
32. श्री पंकज उपाध्याय
33. श्री लखन घनघोरिया
34. श्री नारायण सिंह पट्टा
35. श्री ऋषि अग्रवाल
36. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
37. श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव (ध्वनिमत से) स्वीकृत हुआ

खण्ड **2**, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) पारित किया जाए.

ध्वनिमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

20. वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 के दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग पर आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन किया.

21. वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने प्रस्ताव किया कि-

" दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 6 एवं 42 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को चार सौ छत्तीस करोड़, बारह लाख, छिहत्तर हजार रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

जगदीश देवड़ा, वित्त, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड **2, 3** तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

23. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिए जाने विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में शामिल अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिए जाएंगे.

24. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

25. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

26. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

27. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 7.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 5 जुलाई, 2024